

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन साँकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 32/19

निर्णय दिनांक:- 09-01-2020

(आरसीएमएस संख्या 2019/00050)

1. चन्द्रशेखर पुत्र कालूराम जाति आचार्य निवासी बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 25-10-2002
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियों, राजकीय अभिभाषक



—निर्णय—

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 25-10-2002 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में तमाम सबूतों के साथ आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट द्वारा अपने आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत यथा भूमि काश्तकारी पेशा व शपथ पत्र आदि प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा आवंटन मात्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि उपनिवेशन तहसील पूगल में बाराणी भूमि में आवंटन हेतु राज्यादेश क्रमांक एफ-3(25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13-03-1991 से इगानप क्षेत्र में बाराणी भूमि का आवंटन बन्द कर दिया गया है।

अपील प्राधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। अदालत मातहत द्वारा बारानी भूमि आवंटन बन्द होने के कारण अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है।

अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर अदालत मातहत ने प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट के सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।



विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25-10-1992 के विरुद्ध अपील दिनांक 18-01-19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत ने अपीलांट का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि का आवंटन राज्यादेश के तहत बन्द कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25-10-2002 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 18-01-2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने भूमिहीन बारानी आवंटन के तहत आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि उपनिवेशन तहसील पूगल में राज्यादेश क्रमांक एफ-3(25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13-03-1991 से इगानप क्षेत्र में बारानी भूमि का आवंटन बन्द कर दिया गया है। अतः अपीलांट के आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

(3) हमने अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा बारानी भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। चूंकि जब बारानी भूमि का आवंटन राज्यादेश क्रमांक एफ-3(25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13-03-1991 के अनुसरण में बन्द कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को बारानी भूमि के आवंटन प्रार्थना पत्र पर बारानी भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा भी इसी आधार पर अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।




विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस राज्य सरकार राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प.3(25)उप/1991 दिनांक 18-06-2008 जिसके द्वारा दिनांक 13-03-1991 को इगानप (द्वितीय चरण) उपनिवेशन क्षेत्र में बारानी भूमि के आवंटन पर लगाई गई रोक को एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है, की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए आवंटन की कार्यवाही करने का कथन किया गया। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अपीलांट का आवेदन पत्र पूर्व में खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इगानप (द्वितीय चरण) उपनिवेशन क्षेत्र में बारानी भूमि के आवंटन हेतु पृथक से नये सिरे से अपना आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र है। अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

Adl
राजस्थान उच्च न्यायालय
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 25-10-2002 बहाल रखा जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09-01-2020 को इस इजलास सुनाया गया।




(राम रतन सांकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अधिकारी
बीकानेर

